अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2005

का.आ. 389(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 901(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट,एन-192,ग्रेटर कैलाश-I,नई दिल्ली-110048 द्वारा दिल्ली/ग्वालियर में भवन निर्माण, पुस्तकालय की किताबों, कार्यालय और खेल कूद उपकरणों, मोबाइल उपस्करों तथा उपकरणों, सीखने वाली सामग्री की खरीद, साज सज्जा तथा एकीकृत शिक्षा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के क्रियाकलापों के चलाने व पुर्नवास,व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखरेख और रोजगार के अवसर हेतु कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट,एन-192,ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट,एन-192,ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048 द्वारा चलाई जा रही दिल्ली/ग्वालियर में भवन निर्माण, पुस्तकालय की किताबों, कार्यालय और खेल कूद उपकरणों, मोबाइल उपस्करों तथा उपकरणों, सीखने वाली सामग्री की खरीद, साज सज्जा तथा एकीकृत शिक्षा द्वारा विकलांग व्यक्तियों के क्रियाकलापों के चलाने व पुर्नवास,व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सीय देखरेख और रोजगार के अवसर की स्कीम या परियोजना को अनुमोदित लागत अर्थात् 225.84 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 100/2005/फा. सं. एनसी-270/01/2005]

डी.पी. सेनगुप्ता, सचिव (राष्ट्रीय समिति)